न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:—88 आरटीए
प्रकरण संख्या:— 409/2019

तलविन्द्रसिह पुत्र मिठूसिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. मिठूसिह पुत्र गगड़सिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. बलजिन्द्र कौर पत्नी गुरपालसिह } पुत्रियॉ मिठूसिह जाति जटसिख निवासी खेलन
3. वीरपाल कौर पत्नी गुरप्रीतसिह } तहसील मानसा जिला मानसा (पंजाब)
4. सर्वजीतकौर पत्नी मनप्रीत सिह पुत्री मिठूसिह जाति जटसिख निवासी जोगा जिला मानसा। प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री रोहिताश चाहर अधिवक्ता वादी
श्री अरविन्द नैण अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :— 15.01.2021

वादी तलविन्द्रसिह ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादीगण सं0 1 मिठूसिह के नाम से वाकें चकनं0 654 आरडी के खाता सं0 148/133 के प0नं0 224/313 मु0 41 किलानं0 11,12,13 प0नं0 223/314 मु0 43 किलानं0 3 कुल 1.012 है0 नहरी मय गैर मु0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृर्षि भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पति है जो प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी पंजाब की पैतृक भूमि के बैचान से प्राप्त राशि से लगभग 50 वर्ष पूर्व खरीद की है जो पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादीगण ने अपनी मेहनत मजदूरी से बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है जिसमें मुझ वादी को बर्थ राइट हासिल है। मुझ वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के पिता प्रतिवादीसं0 1 मिठूसिह से काफी वृद्व हो चुके है जिनका पिछले कुछ वर्षो से स्वास्थ्य ख़राब रहता है जिसकी वजह से वर्णित कृर्षि भूमि का काफी अर्सा पूर्व घरू बटवारा हो चुका है मुताबिक घरू बटवारा चक 654 आरडी के खाता सं0 148 की कुल 1.012 है0 कृर्षि भूमि मुझ वादी को प्राप्त हुई है। प्रतिवादीसं0 2 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृर्षि भूमि घरू बटवारा के राज मुझ वादी के पक्ष में तर्क कर दी है जो अब अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती। परन्तु वर्णित कृर्षि भूमि अभी तक अकेले प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित होने के कारण मुझ वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है इसलिए वादी वाके चक नं0 654 आर डी के खातासं0 148/133 की कुल 1.012 है0 कृर्षि भूमि गै0मु0 भूमि का खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर प्रतिवादीसं0 1 मिठूसिह पुत्र गगड़सिह का नाम कलमजन करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 4 में दर्ज आराजी के अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना राज़ीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पति है जो मुझ प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी पंजाब की पैतृक भूमि के बैचान से प्राप्त राशि से लगभग 50 वर्ष पूर्व खरीद की है जो पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादीगण ने अपनी मेहनत मजदूरी से बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। प्रतिवादीसं0 1 मिठूसिह से काफी वृद्व हो चुके है तथा पिछले कुछ वर्षो से स्वास्थ्य खराब रहता है जिसकी वजह से वर्णित कृर्षि भूमि का काफी अर्सा पूर्व घरू बटवारा हो चुका है मुताबिक घरू बटवारा चक 654 आरडी के खाता सं0 148 की कुल 1.012 है0 कृर्षि भूमि वादी को दे दी थी। हम प्रतिवादीसं0 2 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृर्षि भूमि घरू बटवारा के रोज वादी के पक्ष में तर्क कर दी है जिसमें हम कोई अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती। उपरोक्त आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए वाके चक नं0 654 आर डी के खाता सं0 148/133 की कुल 1.012 है0 कृर्षि भूमि गै0मु0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राज़स्व रिकार्ड में अंकन कर प्रतिवादीसं0 1 मिठूसिह पुत्र गगड़सिह का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है। राजीनामा के साथ पक्षकारान की आईडी की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किये गये। वादी द्वारा अपना साक्ष्य का शपथ पत्र, वारिसनामा पेश किये गये जो शामिल किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है व वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो चुका है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है। जिसको प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने राज़ीनामा में स्वीकार किया है।प्रतिवादीगण द्वारा अपने राजीनामा में वादी के वाद को स्वीकार किया है। वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, राजीनामा,वारिसनामा,शपथ पत्र वादी, का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर वादी का वाद साबित है।प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है।वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चक नं0 654 आर डी के खाता सं0 148/133 की कुल 1.012 है0 कृर्षि भूमि गै0मु0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 654 आरडी के खातास 0 148/133 मे से प्रतिवादीसं0 1 मिठूसिह पुत्र गगड़सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 409 /2019

तलविन्द्रसिह पुत्र मिठूसिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. मिठूसिह पुत्र गगड़सिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. बलजिन्द्र कौर पत्नी गुरपालसिह } पुत्रियॉ मिठूसिह जाति जटसिख निवासी खेलन
3. वीरपाल कौर पत्नी गुरप्रीतसिह } तहसील मानसा जिला मानसा (पंजाब)
4. सर्वजीतकौर पत्नी मनप्रीत सिह पुत्री मिठूसिह जाति जटसिख निवासी जोगा जिला मानसा। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रोहिताश चाहर वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री अरविन्द नैण प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं0 654 आर डी के खाता सं0 148/133 की कुल 1.012 है0 कृर्षि भूमि गै0मु0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 654 आरडी के खातांस 0 148/133 मे से प्रतिवादीसं0 1 मिठूसिह पुत्र गगड़सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज X निल X मुब्लिक X निल X बाबत् X निल X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें। वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी